न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री आशीष कुमार (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 49/2019

बउनवानः—

1. छीता बाई उर्फ सीताबाई पुत्री रामनाथ पत्नि मांगीलाल जाति मीणा निवासी मूण्डली तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2. चमेली बाई पुत्री रामनाथ पत्नि शंकरलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा कलां तह0 किशनगंज जिला बारां

....वादीयागण

♠ बनाम ♠

1. सूरजमल पुत्र चतुर्भुज मीणा निवासी बोरदा तह0 मांगरोल
2. बीरबल पुत्र चतुर्भुज मीणा निवासी बोरदा तह0 मांगरोल
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दायरा दिनांकः 08.07.2019

निर्णय दिनांक : 08.07.2019

अधिवक्ता वादियागणः— श्री हरिओम यादव

अधिवक्ता प्रतिवादीगणः— कोई उपस्थित नही

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 1 ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल में आराजियात खसरा नं0 163/797 रकबा 1.29 है0 खसरा नं0 338/735 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 407/821 रकबा 0.42 है0 खसरा नं0 618 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 163/749 रकबा 0.80 है0 खसरा नं0 407/748 रकबा 0.80 है0 कुल किता 6 रकबा 4.25 है0 दर्ज हो रही है। वादियागण रेकार्डेड खातेदार है। तथा 1/2 हिस्से के प्रतिवादीगण कम 1 व 2 रेकार्डेड खातेदार है। उक्त आराजी सिलीगं सिवायचक आराजी थी जिसमें से खसरा नं0 163/749 रकबा 0.80 है0 खातेदार राधेश्याम वल्द बंशीलाल चमार के आवंटन कर दी गयी थी तथा खसरा नं0 707/748 रकबा 0.80 है0 रामगोपाल वगै0 के आवंटन करने पर खाते दर्ज कर दी गयी थी। तथा वर्तमान में उपरोक्त खसरा नं0 163/749 व 407/708 पर आवंटी खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे है। ये आराजी विवादित नही है। सीलिंग प्रकरण मिशल नं0 1/2009 बउनवान सरकार बनाम जगन्नाथ, चतुर्भुज इस न्यायालय में जैरकार था जिसका निर्णय दिनांक 05.02.2018 को होने के पश्चात अधिग्रहण की गयी आराजी राजस्थान सरकार से मुक्त कर दी गयी। और मिशल नं0 2/2018 बउनवान सूरजमल वगै0 बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 144 सीआरपीसी के तहत मुक्त की गयी आराजी पुनः खातेदारो के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 27.11.

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

2018 इस न्यायालय द्वारा कीया गया। इस आदेश की पालना में तहसीलदार मांगरोल ने वादियागण व प्रतिवादी कम 1 व 2 के इन्तकाल नं0 580 तस्दीक करके आराजी बराबर–बराबर 1/2–1/2 हिस्से में दर्ज कर दी गयी। इन्तकाल नं0 580 तस्दीक होने से आराजी पुनः वादियागण व प्रतिवादीगण के 1/2–1/2 हिस्से में दर्ज की गयी और दिनांक 09.05.2009 को आराजी का सीमाज्ञान करवाकर वादियागण व प्रतिवादी कम 1 व 2 को आराजी सम्भला दी। यह कि प्रतिवादी कम 1 व 2 के मन में बेईमानी आ जाने से वह लोभवश वादियागण के हिस्से 1/2 पर भी बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। प्रतिवादीगण ने वादियागण व ओमप्रकाश को स्पष्ट धमकी दी है कि समस्त आराजी को हम ही काश्त करेंगे तुम्हारा यहां कुछ भी नही है। लडाई झगडा करने पर आमादा है। लिहाजा प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। जिससे प्रतिवादी कम 1 व 2 वादियागण के हिस्से 1/2 पर जबरन प्रवेश ना कर सकें। प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वे खाता संख्या 1 ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल में दर्ज कुल आराजी 4.25 है0 का 1/2 हिस्से खसरा नं0 618 रकबा 0.56 है0 खसरा नं0 163/797 रकबा 1.29 है0 का 1/2 हिस्सा जिसको वादियागण काश्त कर रही है। में बलपूर्वक प्रवेश ना करें।

उक्त आशय का वाद पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 08.07.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। पूर्व में इन्ही पक्षकारो के मध्य इन्ही खसरा नम्बरो पर प्रकरण जैरकार था। प्रकरण सूरजमल प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में निर्णित भी हुआ है। सीलिंग प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर द्वारा दिनांक 04.06.2019 को स्थगन आदेश मौके एवं रेकार्ड की यथस्थिति बनाये रखने का जारी किया हुआ है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन, मनन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दावा सीपीसी के खण्ड 11 से प्रभावित होने के कारण खारिज किये जाने के योग्य है। अतः दावा प्रथम दृष्टया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को सरेइजलास में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

(आशीष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashish Kumar
Date: 2019.07.18 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: